राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक–02.01.2017

जिला कलक्टर,
अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर।

विषयः– भामाशाह कार्डो को नागरिक सुरक्षा दल के स्वयं सेवकों के माध्यम से वितरित करवाने हेतु।

संदर्भः– जिला कलक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक जयपुर के पत्र क्रमांक 1317 दिनांक 21.11.2016

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम क्षेत्रों में भामाशाह कार्ड वितरण के कार्य को गति प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन यदि आवश्यक समझे तो ई–मित्रों/नगर निगम के कार्मिकों के अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा दल के स्वयं सेवकों के माध्यम से भी भामाशाह कार्ड वितरण का कार्य करवा सकता है। इस हेतु नागरिक सुरक्षा दल के स्वयं सेवक को लाभार्थी को घर पर जाकर कार्ड वितरण हेतु प्रति कार्ड 5/–(अक्षरे पांच रूपये) की दर से मानदेय देय होगा। इस कार्य हेतु स्वयं सेवक को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सुरक्षा दल के स्वयं सेवकों की मानदेय राशि का बिल प्रमाणीकरण कर एसीपी(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से महाप्रबंधक, राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर को भिजवाया जायेगा।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक–02.01.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है–

1. महाप्रबंधक, राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर।
2. उपनिदेशक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा एसीपी(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव